न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2016 वाद
दायर दिनांक – 07/01/2016
निर्णय दिनांक – 19/06/2018

अनवान

1. प्रेमबाई पिता गौकल खाती, पत्नि मांगीलाल छडंगाखेडी हाल निवास खटुकडा तहसील रेलमगरा ,
2. लीला पिता गोकल खाती पत्नि देवीलाल छडंगाखेडी हाल निवास सोनियाणा तहसील रेलमगरा

वादीयागण

बनाम

1. सुरेश पिता इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
2. मुकेश पिता इन्द्रमलखाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
3. रेखा पिता इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
4. संतोष पत्नि इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
5. झमकु बेवा गोकल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
6. शंकर पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
7. लेहरू पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
8. रामेश्वर पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
9. छगनलाल पिता उदयराम खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
10. गीता पिता उदयराम खाती पत्नि कालुराम छडंगाखेडी हाल निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा
11. कमला पिता उदयराम खाती पत्नि शंकर छडंगाखेडी हाल निवासी पेमाखेडा तहसील रेलमगरा
12. संतोष पिता उदयराम खाती पत्नि नंदराम छडंगाखेडी हाल निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
13. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा
14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णयः

वादीयागण की और से वादपत्र निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि ग्राम छडंगा की खेडी की आराजी संख्या 328 ,338 339, 340 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346, 347, 348, 349, 350 ,351, 352, 353 ,354, 355 कुल किता 18 कुल रकबा 35–19 बिघा है। वादीयागण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 13 के सयुंक्त स्वामित्व की आधिपत्य की कृषि भूमियों स्थित है वादपत्र के चरण कमांक 1 मे वर्णित आराजीयात पैतृक जायदाद होकर वादीयागण के पिता स्वर्गीय गोकल एंव प्रतिवादीसंख्या 1 से लगायात 3 के पिता व 4 के पति इन्द्रमल व प्रतिवादी संख्या 5 के पति गोकल एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से लगायात 13 के पिता उदयराम जी को उपरोक्त कृषि आराजीयात स्वर्गीय भवाना पिता डुंगा खाती से विरासत में प्राप्त हुई है तथा स्व. गोकल मोहन एंव उदयराम की मृत्यु पश्चात् उपरोक्त जायदाद वादीयागण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 13 को विरासत से प्राप्त हुई है। वादीयागण एवं प्रतिवादीगण का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है वादीयागण संख्या 1 व 2 स्वर्गीय गोकल जी की जायन्दा पुत्रिया है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 4 वादीयागण के भाई स्वर्गीय इन्द्रमल के पुत्र व पुत्री व पत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्वर्गीय गोकल की पत्नि है। अर्थात स्वर्गीय गोकल जी के एक पुत्र इन्द्रमल उत्पन्न हुआ तथा दो पुत्रिया वादीयागण उत्पन्न हुई तथा स्वर्गीय इन्द्रमल की मृत्यु आज से करीब 06 वर्ष पूर्व हो चुकी है। तथा इन्द्रमल के दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 उत्पन्न हुई तथा प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्गीय इन्द्रमल की पत्नि है। वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित भूमियां मोरूसी होने से उपरोक्त भूमियों मे वादीयागण के पिता स्वर्गीय गोकल का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में भवाना जी की मृत्यु पश्चात दर्ज हुआ था। क्योंकि भवाना जी के तीन पुत्र मोहन, उदयराम, व गोकल हुये थे। जिससे मोहन का उपरोक्त जायदाद मे 1/3 हिस्सा उदयराम का भी उपरोक्त जायदाद मे 1/3 हिस्सा तथा स्वर्गीय गोकल का भी उपरोक्त जायदाद मे 1/3 हिस्सा विरासती अधिकार से प्राप्त हुआ था। तथा स्वर्गीय गोकल जी की मृत्यु पश्चात् गोकल जी को प्राप्त हुई जायदाद मे वादीगण संख्या 1 का 1/2 व वादीगण संख्या 2 का 1/12 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 4 का सयुंक्त रूपेण 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा बनता है व इन भूमियों पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 का सयुंक्त आधिपत्य होकर सयुंक्त स्वामित्व की है। स्वर्गीय गोकल जी की मृत्यु आज से करीबन 32 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 3 के पिता व चार के पति स्वर्गीय इन्द्रमल ने गोकल जी की मृत्यु पश्चात राजस्व अधिकारियों व पटवारी से मिलकर वादपत्र की चरण कंमाक 1 मे वर्णित गोकल जी के 1/3 हिस्से को विरासत से अपने नाम करवा दी तथा वादीगण के नाम जमाबंदी में अंकन नही होने दिया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 3 के पिता व 4 के पति इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते है कि उपरोक्त भूमियों मे 1/12 वा – 1/12 वा हिस्सा वादीयागण का है व स्वर्गीय

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

गोकल जी के स्वर्गवास के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 4 व प्रतिवादी संख्या का स्वर्गीय गोकल की जायदाद मे समान हक व हिस्सा है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 3 के पिता व 4 के पति इन्द्रमल ने पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादपत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजीयात में अपना नाम दिलाने के लिए नामान्तरणकरण संख्या 66 गलत तरीके से अपने नाम पर खुलवाकर जमाबंदी मे स्वर्गीय गोकल जी के बजाय विरासत से अपने नाम का अंकन करवा दिया गया जबकि विरासत से वादीगण व प्रतिवादीसंख्या 1 से लगायात 3 के पिता व 4 के पति इन्द्रमल व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम अंकन होना चाहिए था। प्रमाण मे वादीगागण के पिता के नाम पर वादपत्र की चरण कंमांक 1 में वर्णित भूमियां थी कि प्रमाणित जमाबंदी की नकल साथ प्रस्तुत है व नामान्तरणकरण संख्या 66 की प्रमाणित प्रतिलिपी भी प्रस्तुत है तथा भवाना जो कि वादीयागण के दादाजी थे के नाम की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है । वादीयागण के भाई इन्द्रमल की मृत्यु पश्चात् विरासती नामान्तरणकरण 365 जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 4 के नाम पर निर्णित हुआ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलग्ंन है। स्वर्गीय गोकल जी की भूमियों मे बिना वारिसों की जाचं किए ग्राम पचांयत सांसेरा द्वारा विरासत से नामान्तरणकरण प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 3 के पिता व 4 के पति इन्द्रमल के नाम पर ही खोल दिया व वादीयागण के नाम पर नही खोला जिससे अब भूमियों में वादीयागण के पिता गोकल का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 के नाम पर अंकित होने स`अब उपरोक्त भूमियो को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 विकय करने पर आमादा है। तथा आज से करीबन 3 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीयागण को धमकियां देना प्रारम्भ कर दिया कि तुम्हारा वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमिया हम विकय कर देंगी व तुम्हारे के कुछ नही होने वाला है तब वादीयागण को पता लगा कि स्वर्गीय श्री गोकल जी की भूमियों मे जो वादीयागण के पिता थे मे वादीयागण का नाम अंकित नही हैं जिससे वादीयागण के लिए यह आवश्यह हो गया है कि वादीयागण स्वर्गीय श्री गोकल जी की वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों मे गोकल जी के 1/3 हिस्से मे वादीयागण अपने 1/12 –1/12 हिस्से की घोषणा करवाने व जब तक भूमियों मे अपना नाम अंकित नही हो जावे तब तक प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों को किसी को विकय अथवा खुर्द बुर्द नही करे इस बाबत उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है तथा वादीयागण का वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों में घोषणा के पश्चात विभाजन करा भूमियों का अपने हिस्से अनुसार स्वतंत्र अंकन कराने हेतू वादीयागण के लिए उक्त वाद लाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। इस निमित वादीयागण का यह वादपत्र प्रस्तुत है अन्यथा वादीयागण को वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों में अपने 1/12 –1/12 हिस्से से वंचित होना पडेगा। जिससे वादीयागण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसक पूर्ति नकदी में कतई सम्भव नही होगी। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 5 को स्थाई निषेधाज्ञा क जरिये प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है कि वे वादपत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित भूमियों में वादीयागण का अपने हिस्से अनुसार नामअंकन खाते में नही हो जावे तब तक वे इन भूमियों को विकय अथवा खुर्द बुर्द नही करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस बाबत् उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 6 से लगायात 13 सह

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खातेदार होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के यहां रहन होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 15 भूमिधारक होने से तथा विभाजन का वाद होने से उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 6 से लगायात 15 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही जा रही है। वादीयागण का वाद हेतूक आज से तीन माह पूर्व जब प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 ने वादीयागण को धमकियां देना प्रारम्भ किया कि वादपत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित भूमियों में वादीयागण का नाम अंकित नही है वे इन भूमियों को विकय एंव खुर्द बुर्द कर देगे व वादीयागण द्वार मना करने पर नही मान कर उक्त भूमियो को खुर्द बुर्द करने व वादीयागण द्वार अपना नाम दिलाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 द्वारा मना कर देने से तथा वादीयागण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उपरोक्त नकलों में अपना नाम अंकित नही होने का पता चला तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है वैसे स्वत्व घोषणा में मयाद की आवश्यकता नही है।

अतः प्रार्थना है कि वादीयागण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 5 के विरूद्ध इस आशय की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित भूमियों में वादीयागण का प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्सा घोषित फरमाया जाकर स्वत्व घोषणा की डिकी प्रचलित फरमाई जावे। वादीयागण के पक्ष मे एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि वादीयागण को प्राप्त होने वाली वादपत्र की चरण कमांक 1 मे वर्णित भूमियों में वादीयागण के 1/12 –1/12 हिस्से मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 5 स्वयं अपने नौकर चाकर, एजेण्ट या मित्रगण आदि से कोई बाधा रूकावट कब्जे काश्त में नही करे। तथा जब तक वादीयागण के नाम पर उपरोक्त हिस्सा स्वतंत्र अंकन नही हो जावे तब तक उपरोक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द विकय दान हस्तान्तरण नही करे। इस बाबत् उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। वादीयागण को अपने प्राप्त होने वाले 1/12 –1/12 हिस्से का विभाजन कराकर वादीयागण के नाम पर स्वतंत्र अंकन आधिपत्य दिलाया जावे एवं विभाजन की प्रारम्भिक एंव अन्तिम डिकी प्रचलित फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादिगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये व प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 15 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया इनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. एक प्रेमीबाई व पी.डब्लू दो लीला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश एक तथा नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रर्दश दो भू प्रबन्ध विभाग के जमाबंदी सवंत् 2029–30 की प्रमाणित प्रति पर्दश तीन एवम् जमाबदी सवंत् 2043–46 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश चार नामान्तरणकरण की प्रमाणित प्रति प्रर्दश पाचं एव प्रर्दश छ के प्रस्तुत की गई कि पत्रावली वास्ते वादी की बहस हेतु नियत थी कि राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

अदालत/कोर्ट कैम्प सासेरां पर रखी गई। दौराने कैम्प अधिवक्ता वादी उपस्थित वादी की बहस सूनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने विभाजन की सहायता नही चाही गयी। पत्रावली एवम् उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा की सहायता चाही गई। अतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणा का आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम छडंगाखेडी के आराजी नम्बर 328 ,338 ,339, 340 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346, 347, 348, 349, 350 ,351, 352, 353 ,354, 355 कुल किता 18 कुल रकबा 35–19 बिघा मे वादीया गण को प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/06/2018 को कैम्प सांसेरा मे सुनाया गया।

शक्ति सिंह भाटी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 03/2016

अनवान

वादी पक्ष :–

1. प्रेमबाई पिता गौकल खाती, पत्नि मांगीलाल छडंगाखेडी हाल निवास खटुकडा तहसील रेलमगरा ,
2. लीला पिता गोकल खाती पत्नि देवीलाल छडंगाखेडी हाल निवास सोनियाणा तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. सुरेश पिता इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
2. मुकेश पिता इन्द्रमलखाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
3. रेखा पिता इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
4. संतोष पत्नि इन्द्रमल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
5. झमकु बेवा गोकल खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
6. शंकर पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
7. लेहरू पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
8. रामेश्वर पिता मोहन खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
9. छगनलाल पिता उदयराम खाती छडंगाखेडी तहसील रेलमगरा
10 .गीता पिता उदयराम खाती पत्नि कालुराम छडंगाखेडी हाल निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा
11. कमला पिता उदयराम खाती पत्नि शंकर छडंगाखेडी हाल निवासी पेमाखेडा तहसील रेलमगरा
12. संतोष पिता उदयराम खाती पत्नि नंदराम छडंगाखेडी हाल निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा
13. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा
14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

दावा :– घोषणा
वादी की ओर से :– अधिवक्ता राकेश सनाढ्य
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 19.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत् घोषणा का आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम छडंगाखेडी के आराजी नम्बर 328 ,338 ,339, 340 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346, 347, 348, 349, 350 ,351, 352, 353 ,354, 355 कुल किता 18 कुल रकबा 35–19 बिघा मे वादीया गण को प्रत्येक का 1/12 – 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 19/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा